

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

ओकाराम

व/स

रजकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 154 / 2024

--आदेश--


दिनांक :- 14/10/24

प्रार्थी ओकाराम

पुत्र श्री सुफाराम

जाति केदाराम निवासी बीनावाड़ तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बीनावाड़ की जमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2076 के खाता सं. 36 में दर्ज अशुद्ध नाम ओकाराम पुत्र सुफाराम जाति कांजी निवासी : बीनावाड़ का शुद्ध नाम ओकाराम पुत्र सुफाराम जाति केदाराम निवासी बीनावाड़ की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा